

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(1) 2013/कार्मिक-राज/प्रमुबसं/4571-4721 दिनांक 16/10/14.

निमित्त,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,  
समस्त उप वन संरक्षक,  
समस्त स्थानान्तरित अधिकारी

विषय:-स्थानान्तरित भारतीय वन सेवा/राजस्थान वन सेवा अधिकारियों को कार्यमुक्त करने/कार्यभार ग्रहण हेतु निर्देशित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2014 एवं इससे पूर्व जारी किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना में आपके अधीन कार्यरत अधिकांश राजस्थान वन सेवा के अधिकारीगण आदिनांक तक कार्यमुक्त नहीं हुये है, कृपया उन्हें आज ही कार्यमुक्त करे।

अतः सभी सम्बन्धित भारतीय वन सेवा/राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश की अनुपालना में अपने पूर्व पद से आज ही कार्यमुक्त होकर बिना कार्यग्रहण काल अवधि का उपभोग किये दिनांक 16.10.2014 तक नवीन पद का कार्यभार आवश्यक रूप से ग्रहण कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

उक्त आदेशों की अवहेलना पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

भवदीय,  


(राहुल कुमार)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।